


में पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित नहीं।  
आयन्दा पत्रायली दिनांक 06/7/17  
को पेश हो।

प्रभारी अधिकारी  
अखण्ड अधिकारी, बावडी  
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार-2017"

2/6/2017

~~पत्रायली राजस्व लोक अदालत  
"न्याय आपके द्वार-2017" केस नं. 10/17  
जुद्ध में पेश हुई। युक्ति मूलवाक  
जदिये विद्रोह खारिज हो चुका है। एत  
प्रकार पत्र को हार्ने शर्माने का कोस  
होने के लिये नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र  
पर 212 RT Act को भी खारिज किया  
जाता है। पत्रायली फेरल भुमार होकर  
गम्भीर नि कम एवं काबिल दफ्तर हो।~~

clear work



10/6/17  
(पत्रायली)  
प्रभारी अधिकारी  
रा.लो.अ. "न्याय आपके द्वार-2017"  
अखण्ड अधिकारी, बावडी